BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास करने के 03 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- राजू पुत्र इम्तियाज, 2- तरुण पुत्र फतहसिंह, 3- आकाश पुत्र शेरसिंह निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में खेत में घुसकर वादी के पुत्र को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.04.2019 को थाना अहार पर मुअसं-44/2019 धारा-307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 02.06.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने परअभियुक्त राजू, तरुण व आकाश को 07-07 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री अखिल कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर